

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकाॅपरेटिव् की बैठक सं० 16/2001 दिनांक 26-6-2001 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1. श्री अतुल शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2. श्री आर. दयाल, निदेशक॥अभियांत्रिकी॥ जविप्रा, जयपुर ।
3. श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक॥वित्त॥ जविप्रा, जयपुर ।
4. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक॥काॅपरेटिव्॥ जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1. श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
2. श्री पवन कुमार जैन, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
3. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक॥काॅपरेटिव्॥ जविप्रा, जयपुर ।
4. श्री मुकेश मिस्तल, सहायक नगर नियोजक॥काॅपरेटिव्॥ जविप्रा, जयपुर ।
5. श्री गोपाल सैनी, नगर नियोजक सहायक, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर ।

॥1॥ भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकाॅपरेटिव् की बैठक सं० 12/2001 दिनांक 30/31-3-2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु ।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ।

॥2॥ एजेण्डा आइटमस -

2.1- एजेण्डा सं० 16/2001-1 :- पाम कोर्टस योजना॥निजी खातेदार॥ जोन सी-2 :-

उपायुक्त, जोन सी-2 द्वारा प्रेषित एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और बाद विचार-विमर्श जोन द्वारा प्रेषित एजेण्डा के अनुसार योजना का संशोधन अनुमोदित किया गया जो कि निम्नानुसार है -

1. भूखण्ड सं० 1, 42, व 43 को विलोपित किया गया और निम्न भूखण्डों को उनके सामने अंकित क्षेत्रफल के अनुसार अनुमोदित किया गया -

<u>क्र०सं०</u>	<u>भूखण्ड संख्या</u>	<u>भूखण्ड का क्षेत्रफल {वर्गमीटर}</u>
1•	40	500•00
2•	41	500•00
3•	2	1666•64
4•	3	1200•00
5•	4	656•08

2• भूखण्ड सं० 2,3 4 व 5 के सामने वाली सड़क 9•00 मीटर के अतिरिक्त प्लाटेशन के स्थान पर प्रस्तावित 200' चौड़ी सड़क दर्शायी जाये ।

2•2- एजेण्डा सं० 16/2001 -2 :- टेलीफोन एम्पलायज हा•को•सोसायटी लि० की योजना स्कीम नं० 1 टेलीफोन कॉलोनी के अनुमोदन के संबंध में :- वरिष्ठ नगर नियोजक {कांपरेटिव} द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा बताया गयी मौके की स्थिति के आधार पर विचार-विमर्श किया गया और बाद विचार-विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ योजना का अनुमोदन किया गया -

- 1• बीपीसी-11 {कांपरेटिव} की बैठक सं० 63/2000 दिनांक 24-7-2000 में रेल्वे लाइन के मध्य बिन्दु से 90' की दूरी छोड़ते हुए इस क्षेत्र में भूखण्डों का अनुमोदन किया गया था उसी के अनुसार इस योजना में भी रेल्वे लाइन के मध्य बिन्दु से भूखण्डों की दूरी 90' रखी जाये । तदनुसार भूखण्ड सं० 1 से 5 व आंशिक भूखण्ड सं० 11 अस्वीकृत किया गया ।
- 2• भूखण्ड सं० 12 और 16 के मध्य उत्तर-दक्षिण रोड़ को 40 फिट, भूखण्ड सं० ए1 व ए6 के मध्य उत्तर-दक्षिण रोड़ को 20 फिट और भूखण्ड सं० ए11 व ए 16 के मध्य उत्तर-दक्षिण रोड़ को 30 फिट किया जाये ।
- 3• भूखण्ड सं० ए 11 और 16 के दक्षिण में स्थित रोड़ को 20' किया जाये ।
- 4• भूखण्ड सं० 7 और 9 एवं 10 और 11 के बीच स्थित लेन को यथावत मौके के अनुसार 16' रखा जाये ।
- 5• सड़कों के चौड़ा करने और पांच भूखण्डों को निरस्त करने के पश्चात् योजना का आवासीय क्षेत्रफल 65•12% रहता है । पुरानी योजना बनी हुई होने के कारण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प-5१३१ नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99को अनुपालना में शिथिलता देते हुए



उक्त अधिक प्रतिशत को अनुमोदित किया गया ।

6. योजना की भूमि कुल भूमि से मौके के अनुसार 848.00 वर्ग गज अधिक है जिस पर उपायुक्त को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
7. भूखण्ड सं० 6 से 11 व रेल्वे लाइन के साथ अनुमोदित सड़क के बीच की पूरी भूमि को रिजर्व रखा जाए और उसके वाणिज्यक उपयोग पर विचार किया जाए ।
- 2.3- एजेण्डा सं० 16/2001-3 :- टेलिफोन एम्प्लोयज हा.को. सोसायटी लि. की योजना नं० 2 के अनुमोदन के संबंध में :-
वरिष्ठ नगर नियोजक (कांफरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति के आधार पर विचार-विमर्श किया गया और बाद विचार-विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ योजना का अनुमोदन किया गया -
 1. भूखण्ड सं० 6 से 11 के सामने स्थित रोड़ को 30' अनुमोदित किया गया । मौके पर आदर्श बस्ती बढ़ी हुई है और उसके सामने 20' रोड़ है अतः 10' चौड़ायी का क्षेत्र आदर्श बस्ती के भूखण्डों से ही लिया जाये ।
 2. भूखण्ड सं० 1 और 11 के मध्य स्थित रोड़ को 25' के स्थान पर 30' किया गया क्योंकि यह रोड़ मधुबन कालोनी में जाती है जिसे पूर्व में ही 30' अनुमोदित किया हुआ है ।
 3. रेल्वे लाइन के समानान्तर भूखण्ड सं० 1, 2, 3, 4, 5 की दुकानों को पार्किंग हेतु 10' का फ्रन्ट सेट बैक छोड़ते हुए अनुमोदित किया गया ।
 4. योजना में स्थित 5' व 10' के रास्तों को योजना के अनुसार अनुमोदित किया गया ।
 5. योजना में शामिल अधिक भूमि के बारे में उपायुक्त, जोन बी-2 को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
- 2.4- एजेण्डा सं० 16/2001/4 :- प्रताप नगर हा.को. सोसायटी की योजना नं० 2 के संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में :-
वरिष्ठ नगर नियोजक (कांफरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति के आधार पर विचार-विमर्श किया गया और बाद विचार-विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित मानचित्र अनुमोदित किया गया -
 1. योजना मानचित्र में पूर्व में अनुमोदित 60' चौड़ी सड़क अब मौके पर



30' ही उपलब्ध है। अतः मौके की स्थिति एवं भूखण्ड सं० 50 व 51 के उत्तर में बरकत नगर के भूखण्डों के अनुमोदित होने के कारण इस सड़क को 30' किया गया और भूखण्ड सं० 50, 51 को अनुमोदित किया गया।

2. भूखण्ड सं० 30, 30ए व भूखण्ड सं० 51, 52 के मध्य पूर्व में भूखण्ड स्वीकृत किया गया था परन्तु अब मौके पर 30' चौड़ी सड़क में है। अतः इसे रोड़ अंकित किया जाये।
3. भूखण्ड सं० 49 व 48 के मध्य से गुजरने वाली सड़क मौके के अनुसार 30' सड़क अनुमोदित की गयी क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ यह सड़क 30' अनुमोदित है।
4. भूखण्ड सं० 17 से 21 व भूखण्ड सं० 1 व 16 मौके के अनुसार सीधे किया जाये।
5. मौके पर योजना 76.08% क्षेत्र में निर्मित है। अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प-5३३/नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 के अनुपालना में शिथिलता देते हुए अधिक आवासीय प्रतिशत अनुमोदित किया गया।
6. योजना के भूखण्डों में सैट बैक पूर्व में अनुमोदित योजना के अनुसार ही रखे जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय कांपरेटिव
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कांपरेटिव/2001/डी-166

दिनांक: 02/7/2001

प्रतिलिपि:-

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 3- निदेशक/आयोजना/विधि/वित्त/अभियंत्रिकी जविप्रा, जयपुर।
- 4- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जौन बी-2, सी-2, जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय कांपरेटिव